अध्याय 7
शून्य दर पूर्ति

धारा 16 : शून्य दर पूर्ति

(1) ''शून्य दर पूर्ति'' से माल या सेवाओं या दोनों निम्नलिखित कराधेय पूर्तियां अभिप्रेत है, अर्थात् :–

(क) माल या सेवा या दोनों का निर्यात; या

(ख) किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को [1]**[**प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए**]** माल या सेवाएं दोनों की पूर्ति।

(2) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के उपबन्धों के अध्यधीन शून्य दर पूर्तियां करने के लिए इनपुट कर का प्रत्यय इस बात के होते हुए भी प्राप्त किया जा सकेगा कि ऐसी पूर्ति कोई छूट प्राप्त पूर्ति हो सकेगी।

[2]**[**(3) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो शून्य दर पूर्ति करता है, केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 54 या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, ऐसी शर्तों, सुरक्षोपायों और प्रक्रिया के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, बंधपत्र या वचन बंधपत्र के अधीन, एकीकृत कर के संदाय के बिना, माल या सेवाओं के या दोनों की पूर्ति पर अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा करने का पात्र होगाः

परन्तु विक्रय आगमों की वसूली न किए जाने की दशा में, ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल की शून्य दर पर पूर्ति करता है, विदेशी मुद्रा विप्रेषणादेशों की प्राप्ति के लिए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन विहित समय–सीमा की समाप्ति के पश्चात् तीस दिन के भीतर धारा 50 के अधीन लागू ब्याज सहित ऐसा संदत्त प्रतिदाय जमा करने का दायी होगा।

(4) सरकार, परिषद् की सिफारिश पर और ऐसी शर्तों, सुरक्षापायों और प्रक्रियाओं के अधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कर सकेगी,–

(i) व्यक्तियों का ऐसा वर्ग, जो एकीकृत कर के संदाय पर शून्य दर पूर्ति कर सकेगा और [3]**[**केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार**]** ऐसे संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा;

---

1 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 27/2023–केंद्रिय कर, दिनांक 31.07.2023 द्वारा इसको दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) द्वारा वर्तमान उपधारा (3) के स्थान पर उपधारा (3) और (4) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 27/2023–केंद्रिय कर, दिनांक 31.07.2023 द्वारा इसको दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील किया गया।

प्रतिस्थापन के पूर्व उपधारा (3) इस प्रकार थी :

"(3) माल या सेवा या दोनों का निर्यात करने वाला रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में किसी के अधीन प्रतिदाय का दावा करने का पात्र होगा, अर्थात् :

(क) वह एक एकीकृत कर के संदाय बिना ऐसी शर्तों, रक्षापायों और प्रक्रिया के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, बंधपत्र या वचनबंध पत्र के अधीन माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात कर सकेगा और अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा; या

(ख) वह पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों पर एकीकृत कर के संदाय पर ऐसी शर्तों, रक्षापायों और प्रक्रिया के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, माल या सेवा या दोनों की पूर्ति कर सकेगा और ऐसे संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा।"

3 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

(ii) माल या सेवाओं [4]**[**या दोनो, जिसकी शून्य रेटेड पूर्ति पर पूर्तिकर्ता , केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमो के अनुसार एकीकृत कर का संदाय कर सकेगा और इस प्रकार संदत्त प्रतिदाय का दावा कर सकेगा।**]**

[5]**[(5)** उपधारा (3) और उपधारा (4) मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल की शून्य रेटेड पूर्ति के कारण अनुपयुक्त इनपुट कर प्रत्तय या माल की शून्य रेटेड पूर्ति के कारण संदत्त एकीकृत कर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां ऐसे माल की रेटेड पूर्ति निर्यात शुल्क के अध्यधीन है।**]**

---

[4] वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा ''का ऐसा वर्ग, जो एकीकृत कर के संदाय पर निर्यात की जा सकेगी और ऐसे माल या सेवाओं का पूर्तिकर्ता ऐसे संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा कर सकेगा।'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

[5] वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा उपधारा (5) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।